सामुदायिक स्वच्छता परिसर अन्तर्गत ग्रामों में कराये जाने वाले कार्यों की रूप–रेखा।

ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का 30ः भाग 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदानों से वहन किया जाएगा और शेष 70% SBM(G) चरण–II के तहत प्राप्त निधियों से प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान तय करेगी जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो और जहां दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब और प्रवासी मजदूरों/अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सार्वजनिक शौचालय परिसरों के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है जो धन या जगह की कमी के कारण व्यक्तिगत शौचालय नहीं बना सकते हैं और खुले में शौच का विकल्प चुनते हैं। इस तरह के परिसर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, टैक्सी स्टैंड आदि में उपयोगी विकल्प है, जहां लोगों की भीड़–भाड़ अधिक होती है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर से समुदाय में स्वस्थ स्वच्छता आदतों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। तथा यह भी सुनिश्चित होगा सबको स्वच्छता के साधन उपलब्ध हों। इस तरह के सामुदायिक स्वच्छता परिसर में उचित संख्या में टॉयलेट सीट, नहाने के केबिन, कपड़े धोने का स्थान, वॉश बेसिन आदि शामिल होने चाहिए।

स्वच्छता परिसर के लिए गांव में एक उपयुक्त स्थान का चयन शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। ऐसा स्थान आम तौर पर लक्षित समुदाय के भीतर उपलब्ध नहीं होता है। कभी–कभी शौचालय परिसर निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय जमींदारों के पास अप्रयुक्त स्थान उपलब्ध हो सकता है। जहां तक जमींदारों का संबंध है, ग्राम पंचायत और समुदाय को ऐसे जमींदारों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें स्वच्छता परिसर के लिए स्थान प्रदान करने के लिए सहमत करना चाहिए।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर ऐसी सुविधा है जिसका निर्माण उस स्थिति में किया जाता है जब वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए कोई अपेक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो। इसका उपयोग, स्वामित्त्व और रख–रखाव समुदाय के सदस्यों या स्थानीय शासन द्वारा किया जाता है। यह बस्तियों के आस–पास होना चाहिए। यह आम तौर पर समुदाय के भीतर उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां लोग रहते हों। सामुदायिक शौचालय में, समुदाय की जरूरतों के अनुसार, नहाने की सुविधा या कपड़े धोने का स्थान जैसी अन्य सुविधाएं भी हो सकती है।